## RRCAT EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY (LIMITED) INDORE (M.P)

Regd. No. AR/IDR/1172/Dtd. 04.05.1993

Date: 23-Sep-2019

## NOTICE

As per the decision taken in the 22nd<sup>t</sup> Annual General Body Meeting held on 20<sup>th</sup> September 2019, the following changes shall be implemented with effect from 23<sup>th</sup> September 2019.

	Existing	Proposed	
1	Eligibility of Ordinary Loan: Rs 15,000/- per completed years of membership or Rs 2,50,000/- whichever is less Maximum Installments: 80 Other terms and conditions remain same.	Eligibility of Ordinary Loan: Rs 30,000/- per completed years of membership or Rs 3,00,000/- whichever is less Maximum Installments: 100 Other terms and conditions remain same.	
2	Eligibility of Special Loan: Rs 50,000/- per completed years of membership or 20 times of basic pay or Rs 7,00,000/- whichever is less Maximum Installments: 120 Other terms and conditions remain same.	Eligibility of Special Loan: Rs 80,000/- per completed years of membership or 20 times of basic pay or Rs 8,00,000/-whichever is less Maximum Installments: 150 Other terms and conditions remain same.	
3	Eligibility of Consumer Loan: Maximum limit: Rs 5,00,000/- Maximum Installments: 100 Quotation required Other terms and conditions remain same.	Eligibility of Consumer Loan: Maximum limit: Rs 6,00,000/- Maximum Installments: 120 Quotation not required Other terms and conditions remain same.	
4	Death relief amount: Rs 30,000/-	Death relief amount: Rs 32,000/-	

Important Notice: As the share capital of the society has increased from Rs. 15,00,000/- to Rs 50,00,000/-, it is decided to increase the number of shares to each member from 10 to 25. This will be implemented in the financial year 2019-20. The benefit will be effective in the financial year 2020-21.

(Shryner Penumala)
President
r an behalf of Managing Committee

## Please Note:-

- 1. All are requested to update address, signature and nominee in the membership register at Society office and submit the duly filled KYC form..
- 2. All are requested to ascertain the exact loan amount before giving surety to any member.
- 3. Maximum installment of any loan will depend on the early retirement of borrower or surety.
- 4. If any member is willing to pay the 1<sup>st</sup> installment of the Recurring Deposit by cash or cheque, the same shall be accepted only on first working day of the month subject to realization of cheque amount to Society's bank account on first working day itself.

For display board on notice broad

श्रीकला आर./Sreekala R.
श्रीकला आर./Sreekala R.
Administrative Officer-III

## आरआरकेट कर्मचारी सहकारी साख संस्था (मर्यादित), इन्दौर

रजि.नं. AR/IDR/1172 Dt. 04.05.1993

दिनांक : 23-सितम्बर-2019

\*\* सूचना \*\*

दिनांक 20 सितम्बर 2019 को संपन्न संस्था की 22वीं वार्षिक आम सभा में लिए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित परिवर्तनों को 23 सितम्बर, 2019 से लागू किया जाएगा :

वर्तमान			प्रस्तावित	
	ऋण की पात्रता साधारण ऋण : रु 15,000/- प्रतिवर्ष अथवा अधिकतम सीमा : रु 2,50,000/- जो भी कम हो अधिकतम किश्त : 80 बाकी नियम एवं शर्ते पूर्ववत जैसी रहेगी।	1	ऋण की पात्रता साधारण ऋण : रु 30,000/- प्रतिवर्ष अथवा अधिकतम सीमा : रु 3,00,000/- जो भी कम हो अधिकतम किश्त : 100 बाकी नियम एवं शर्ते पूर्ववत जैसी रहेगी।	
2	ऋण की पात्रता विशेष ऋण : रु 50,000/- प्रतिवर्ष अथवा मूल वेतन का 20 गुना जो भी कम हो अधिकतम सीमा : रु 7,00,000 /- अधिकतम किश्त : 120 बाकी नियम एवं शर्ते पूर्ववत जैसी रहेगी।	2	ऋण की पात्रता विशेष ऋण : रु 80,000/-प्रतिवर्ष अथवा मूल वेतन का 20 गुना जो भी कम हो अधिकतम सीमा : रु 8,00,000/- अधिकतम किश्त : 150 बाकी नियम एवं शर्ते पूर्ववत जैसी रहेगी।	
3	आका नियम एवं शत पूर्वपत जसा स्ट्रांग ऋण की पात्रता अधिकतम सीमा : रु 5,00,000/- अधिकतम किश्त : 100 कोटेशन की आवश्यकता के सन्दर्भ में। बाकी नियम एवं शर्ते पूर्ववत जैसी रहेगी।	3	ऋण की पात्रता उपभोक्ता ऋण अधिकतम सीमा : रु 6,00,000/- अधिकतम किश्त : 120 अभी किसी भी तरह की कोटेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी बाकी नियम एवं शर्ते पूर्ववत जैसी रहेगी।	
4	मृत्यु राहत राशि रु 30,000/-	5	मृत्यु राहत राशि रु 32,000/-	

महत्वपूर्ण सूचना: संस्था की अधिकतम अंशपूंजी रु 15,00,000/- से बढ़कर रु 50,00,000/- हो जाने के कारण संस्था के प्रत्येक सदस्य को शेयर संख्या 10 से बढाकर 25 किया जाने का निर्णय लिया गया । यह वितीय वर्ष 2019 -20 में लागू किया जाएगा। जिसका लाभ वितीय वर्ष 2020-21 में प्रभावी होगा।

नेए तथा उनकी ओर से

कृपया ध्यान देः

1. सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्था कार्यालय में दिए गए अपने पते, हस्ताक्षर तथा उत्तराधिकारी को सत्यापित करें और पूर्ण रूप से अरा हुआ के वाय सी फार्म जमा करें।.

2. सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऋण-राशी की सही जानकारी प्राप्त कर ही जमानत दे.

3. किसी भी ऋण के किस्तों की अधिकतम संख्या, ऋण लेनेवाले या जमानतदारों की सेवा निवृति की शेष अवधि पर निर्भर रहेगी. 1000

यदि कोई सदस्य, आवर्ती जमा योजना की प्रथम किश्त की राशि नकद अथवा चेक से देना चाहता है तो, माह के केवल प्रथम कार्य दिवस को ही स्वीकार किया जाएगा, चेक की राशि संस्था के बैंक खाते में माह के प्रथम कार्य दिवस को ही जमा करें।.